FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत (SDO) .... मुकाम ....

राऊराम .... बनाम .... खेराजराम वगैरा

किस्म मुकदमा रि. अपील 111/128 RLR नं. .... सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/3/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 19/4/22 को पेश हो। [signature]	
19/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगण के नोटिस तामील हुवा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया / विप्रार्थीगण बाद पुकार तामील अनुपस्थित / न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दि. 01/06/2022 को पेश हो। [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
[illegible]	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणो के खातेदारी खेत सेढा सेढ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान मे आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (SDO) बायतु [illegible]

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक वाद /2022 /912 दिनांक : 01/06/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. राऊराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट, निवासी सुजानिया नाडीया, पटवार मण्डल अकदड़ा तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. खेराजराम पुत्र लालाराम वगैरा 18, जाति मघवाल, निवासी सुजानिया नाडीया, पटवार मण्डल अकदड़ा तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 121/2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – सुजानिया नाडा, पटवार मण्डल – अकदड़ा तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 550/409 रकबा क्रमशः 14.842 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमवंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अविनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेता की पक्की नेखमवंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशियस)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 01/06/2022

क्रमांक : वाद/2022/914–918

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का अकदड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख व मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमवंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री राऊराम पुत्र पुरखाराम,
4. विप्रार्थी श्री खेराजराम पुत्र लालाराम वगैरा 18,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर